न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कुसुम सुत्रकार, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी याचिका संख्या :– 32/2022

CNR Number : RJDK050012152022

भॅवरलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द, निवासी वार्ड संख्या–40, सूरतगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राज0)

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी।
2. टीकमचन्द प्रो0 लक्ष्मीनारायण भागचन्द अनाज किराणा के व्यापारी एवं आढतियां पुत्र भागचन्द, निवासी मारोठ, तहसील नावां, जिला : डीडवाना–कुचामन।

–गैरनिगरानीकर्तागण

–:: उपस्थित ::–

1.	निगरानीकर्ता की ओर से	अधिवक्ता, श्री अनिल कुमार जोशी।
2.	गैरनिगरानीकर्ता सं. 1 की ओर से	अपर लोक अभियोजक, श्री मनीष शर्मा।
3	गैरनिगरानीकर्ता सं0 2 की ओर से	अधिवक्ता, श्री मनीष चौहान।

फौजदारी निगरानी विरूद्ध विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा पारित प्रसांज्ञन/आदेश दिनांक 04–04–2017, जो कि परिवाद संख्या 106/2017, टीकमचन्द बनाम भॅवरलाल में पारित किया गया।

दिनांक : 14/08/2026

–:: आदेश ::–

1. निगरानीकर्ता भॅवरलाल के द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् विचारण न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा परिवाद संख्या 106/2017 में पारित आदेश दिनांक 04–04–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त आलोच्य आदेश के जरिये विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 138 एनआईएक्ट के तहत प्रसंज्ञान लिया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका निगरानीकर्ता भॅवरलाल की ओर से इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मौखिक बहस के दौरान यह तर्क दिये है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के अभिलेख पर उपलब्ध महत्वपूर्ण तथ्यों एवं दस्तावेजों का समुचित परिशीलन किए बिना तथा

परिवादी के कथनों में विद्यमान विरोधाभासों की उपेक्षा करते हुए दिनांक 4–4–2017 को निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रसंज्ञान लिया गया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत चेक निगरानीकर्ता के हस्ताक्षरित नहीं था, बल्कि उसके भाई सुरेश कुमार द्वारा जारी किया गया था तथा चेक के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता का कोई प्रत्यक्ष दायित्व प्रदर्शित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चेक जिस बैंक में प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, उस बैंक के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अभाव था। परिवादी द्वारा आवश्यक सामग्री का विधि सम्मत परीक्षण किए बिना एवं आवश्यक वैधानिक शर्तों की पूर्ति के अभाव में लिया गया प्रसंज्ञान विधि विरूद्ध होने से प्रसांज्ञ आदेश दिनांक 04–04–2017 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्तागण गैर–निगरानीकर्तागण का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अवैधता नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन कर अपने आदेश में पूर्ण विवेचन करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिये निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया है।
4. इस न्यायालय के द्वारा उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सुसंगत अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थी/निगरानीकर्ता गिरधारी सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक एक परिवाद विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता संख्या–2 प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया कि परिवादी द्वारा दिनांक 7–1–2017 को निगरानीकर्ता के भाई सुरेश कुमार द्वारा जारी चेक क्रमांक 220758, राशि 2,67,000/–रूपये का भुगतान प्राप्त करने हेतु बैंक में प्रस्तुत किया गया, जो अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित होकर वापस प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा उक्त चेक के संबंध में निगरानीकर्ता के विरूद्ध

विचारण न्यायालय में परिवाद पेश किया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवादी को सुना जाकर निगरानीकर्ता के विरूद्ध दिनांक 4–4–2017 को आलोच्य आदेश पारित किया गया है।

6. इस सम्बन्ध में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह निर्विवाद सिद्धांत है कि प्रसंज्ञान के स्तर पर न्यायालय को उपलब्ध सामग्री का विस्तृत एवं अंतिम मूल्यांकन नहीं करना होता, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अपराध के आवश्यक तत्व परिलक्षित होने के आधार पर प्रसंज्ञान आदेश पारित किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में परिवादी द्वारा यह कथन किया गया है कि उसके पक्ष में देय राशि के सम्बन्ध में चेक जारी किया गया, उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर अपर्याप्त राशि के कारण अनादरित हुआ तथा उसके पश्चात वैधानिक कार्यवाही की गई। परिवादी द्वारा अपने परिवाद एवं शपथ–पत्र में निगरानीकर्ता के विरूद्ध स्पष्ट आरोप लगाए गए है। इसी प्रकार चेक के संबंध में वैधानिक नोटिस की तामील, चेक प्रस्तुत किए जाने का स्थान, बैंक की शाखा तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क भी ऐसे तथ्यात्मक एंव विधिक प्रश्न है, जिनका परीक्षण विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। वर्तमान स्तर पर मात्र निगरानीकर्ता द्वारा इन तथ्यों से इन्कार किए जाने से विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया प्रसंज्ञान आदेश स्वतः अवैध नहीं हो जाता है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त :– **2025(4) RLW 3333(SC), Jai Balaji Industries Ltd. & Ors.** में यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

> **''प्रकरण का क्षेत्राधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि परिवादी की होम ब्रांच किस जिले क्षेत्र में स्थित है।''**

8. अतः इस न्यायालय का मत है कि निगरानीकर्ता द्वारा उठाए गए आपत्तियों का परीक्षण इस स्तर पर साक्ष्य के अंतिम मूल्यांकन के रूप किया जाना उचित नहीं

है। विचारण न्यायालय ने परिवाद, शपथ कथन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रसंज्ञान लिया है। आलोच्य आदेश में ऐसी कोई प्रत्यक्ष एवं गंभीर विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती, जिसके आधार पर निगरानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जावे। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी याचिका में कोई सार नहीं पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

9. परिणामतः निगरानीकर्ता भॅवरलाल की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04–04–2017, जो कि परिवादी संख्या 106/2017 में पारित किया गया है, की पुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

10. आदेश आज दिनांक 14–08–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)